राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि.
नेहरू सहकार भवन, तृतीय तल, 22 गोदाम, जयपुर

E-mail : gmscdcho@gmail.com Ph. No. 0141-2740745, 2740544 Fax No. 0141-2740880

अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये योजनायें –

राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि0 द्वारा राज्य के अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को रियायती ब्याज दर पर स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली (एनएसटीएफडीसी) की विभिन्न ऋण योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार व शिक्षा के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

लक्ष्य एवं उद्देश्य

1. अनुसूचित जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों की पहचान करना।
2. अनुसूचित जनजाति के लिए स्व–रोजगार उत्पन्न हो और उनका आय स्तर बढ़ाया जा सके।
3. संस्थागत एवं कार्यावस्था दोनों प्रकार के प्रशिक्षण से अनुसूचित जनजातियों द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया और उनके कौशल को उन्नत करना।
4. अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को उच्चतर स्तरों पर सामान्य/व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण उपलब्ध कराना।
5. अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को समय–समय पर निर्धारित आर्थिक मानदण्ड़ों के आधार पर व्यावहारिक योजनाओं एवं परियोजनाओं के लिए ऋणों की व्यवस्था करना।

ऋण लेने की पात्रता

1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।
2. आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो।
3. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो।
4. आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा आय सीमा (बी. पी. एल.) से दुगुनी (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 98,000/– रुपयें वार्षिक एवं शहरी क्षेत्रों के लिए 1,20,000/– रूपये वार्षिक) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. **स्वयं सहायता समूह** – स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के होने चाहिए।
6. **सहकारी समितियां**: कम से कम 80 प्रतिशत या ज्यादा सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के होने चाहिए। सदस्यता में परिवर्तन के मामले में वह सहकारी सोसायटी

यह सुनिश्चित करेगी कि ऋण अवधि के दौरान अनुसूचित जनजाति सदस्यों का प्रतिशत 80 प्रतिशत से कम नहीं है।

एनएसटीएफडीसी की मुख्य ऋण योजना

क्र. सं.	योजना का नाम	विवरण
1	वनवासी आदिवासी सशक्तिकरण योजना	आदिवासी वनवासी सशक्तिकरण योजना का मुख्य उद्देश्य वन अधिकार अनिनियम, 2006 के अंतर्गत भूमि अधिकार प्राप्त अनुसूचित जनजाति के वनवासियों में जागरूकता उत्पन्न करना, प्रशिक्षण देना, एनएसटीएफडीसी की रियायती वित्तीय सहायता देना, मार्केट लिंकेज बनाने इत्यादि में सहायता देना है।
2	आदिवासी शिक्षा ऋण योजना	एनएसटीएफडीसी पात्र अनुसूचित जनजाति के छात्रों को यूजीसी/सरकारी/एआईसीटीई इत्यादि द्वारा अनुमोदित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा भारत में चलाए जा रहे पीएचडी कोर्स सहित व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा।
3	लघु ऋण योजना (स्वयं सहायता समूह)	यह योजना स्वयं सहायता समूह के पात्र अनुसूचित जनजाति सदस्यों को आय जनित गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु बनाई गई है।
4	आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना	यह पात्र अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास हेतु एक विशेष योजना है।
5	मियादी ऋण	यह अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को विभिन्न गतिविधियों में स्वरोजगार हेतु ऋण देने की मुख्य योजना है, जिसमें 10.00 लाख रु0 तक का ऋण स्वीकृत किया जाता है।
6	ट्राइफेड के साथ समझौता ज्ञापन के अंतर्गत शिल्पकारों के लिए योजना	योजना के अंतर्गत, एनएसटीएफडीसी ट्राईफेड के पैनल में शामिल अनुसूचिज जनजाति के शिल्पकारों को परियोजना सम्बधि परिसंपत्तियों एवं उनकी कार्य पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उन्हें रियायती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

ऋण की विभिन्न योजनाएंः–

क्र. सं.	योजना का नाम	इकाई लागत (रु. लाखों में)	ब्याज दर (%)	पुनर्भुगतान अवधि (त्रैमासिक)	मोरेटोरियम अवधि
1	मियादी ऋण योजना – • लघु व्यवसाय शहरी • लधु व्यवसाय ग्रामीण	 1.00 0.50	6	5 वर्ष	3 माह
2	आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना	1.00	5	5 वर्ष	6 माह
3	आदिवासी शिक्षा ऋण योजना	10.00	6	5 वर्ष	1 वर्ष (पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद)
4	ट्रेक्ट्रर मय ट्राली (कोटेशन के अनुसार)	7.00	8	5 वर्ष	6 माह
5	लघु व्यवसाय नई	2.00	6	5 वर्ष	3 माह
6	डेयरी योजना	2.00	6	5 वर्ष	6 माह
7	ई–रिक्शा (कोटेशन के अनुसार)	1.50	6	5 वर्ष	6 माह
8	ऑटो रिक्शा (कोटेशन के अनुसार)	3.00	6	5 वर्ष	6 माह
9	जीप टैक्सी/वाहन परियोजना (कोटेशन के अनुसार)	10.00	8	5 वर्ष	3 माह
10	कृषि आधारित लघु व्यवसाय (सॉलर लाईट एवं अन्य कृषि कार्य)	5.00	6	5 वर्ष	6 माह

नोटः– जो ऋणी समय पर ऋण की अदायगी करेगें 50 प्रतिशत के बाद एक प्रतिशत एवं शत–प्रतिशत अदायगी पर फिर एक प्रतिशत अर्थात कुल दो प्रतिशत की छूट देय है।